ई–गवर्नेंस सोसाईटी (कल्पा) रिकांगपियो, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 5.5.2005 से 31.3.2015

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई0–गर्वनैन्स दिनांक 3.9.2005 के अन्तर्गत प्रदेश की ई–गर्वनैंस सोसाइटीयों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (कल्पा) रिकांगपियो के अवधि 5.5.2005 से 31.3.2015 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.5.2015 से 21.5.2015, के दौरान रिकांगपियो में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (कल्पा) रिकागंपियो की निधियों के लेखाओं के अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया :–

वर्ष	आय	व्यय
2005–06	5/2005	3/2006
2006–07	7/2006	2/2007
2007–08	4/2007	4/2007
2008–09	4/2008	4/2008
2009/10	4/2009	4/2009
2010–11	4/2010	4/2010
2011–12	7/2011	7/2011
2012–13	4/2012	4/2012
2013–14	5/2013	5/2013
2014–15	6/2014	6/2014

अंकेक्षण अवधि 5/2005 से 3/2015 के दौरान उपमण्डलाधिकारी (ना0) अधिकारी एवं सचिव ई0 गर्वनैन्स सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो के पद पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहे :–

Sr. No.	Name	Period
1.	Sh. K.K. Saroch	13-9-2004 to 22-05-2005
2.	Sh. Sumit Khimta	22-8-2005 to 11-05-2006
3.	Sh. Sukhdev Singh	15-5-2006 to 18-05-2006
4.	Sh. R.K. Sharma	18-5-2006 to 28-11-2008
5.	Sh. Harbans Singh	28-11-2008 to 12-3-2009
6.	Sh. Ashwani Raj Shah	12-3-2009 to 13-10-2009
7.	Sh. Naresh Thakur	14-10-2009 to 28-4-2012
8.	Sh. prashant Deshta	7-05-2012 to 02-07-2014
9.	Sh. Dr. (Maj) Vishal Sharma	2-7-2014 to continue

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	अनियमितता का विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपभोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग के रूप में निर्धारित राशि को परिवहन विभाग के खाते में जमा न करवाए जाने बारे	6	0.92
2	सेवा शुल्क की राशि को रोकड़ बही में लेखांकित किए बिना ही सीधे केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजना तथा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई राशि को केन्द्रीय ईकाई अभिलेख से Reconcile न किया जाना	7	64.18
3	निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना खुले बाजार से खरीद करने पर भुगतान करना	9	0.12

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई0–गर्वनैंस सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो, के अवधि 5/2005 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹6,000/– आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 26/2015, दिनांक 21.5.2015 द्वारा उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) ई–गर्वनैन्स सोयायटी रिकांगपियो से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई0 गर्वनेन्स सोसाईटी (कल्पा) रिकांगपियो द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही है जैसे कि विभिन्न प्रकार के ई–प्रमाण पत्र जारी करना, शस्त्र लाईसैन्स, Inner Line Permit इत्यादि जारी करना तथा दिनांक 28.2.2007 तक इन सभी सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त सेवा शुल्क को समेकित/इक्ट्ठा एक ही रोकड़ बही में लेखाकिंत किया गया था। दिनांक 28.2.2007 के बाद उपरोक्त सभी गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क की राशि को दैनिक आधार पर केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजा गया था। परिणामस्वरूप ई–गर्वनैन्स

सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो द्वारा अवधि 5.5.2005 से 28.2.2007 तक की समस्त गतिविधियों की समेकित वित्तीय स्थिति रोकड़ बही के आधार पर और दिनांक 28.2.2007 के बाद समस्त गतिविधियों की समेकित वित्तीय स्थिति दैनिक मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के आधार पर तैयार की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–'क'** पर दिया गया है। इस प्रकार ई–गर्वनैन्स सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति नहीं बनाई गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि तथा इसके पश्चात परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति अलग से तैयार की जाए, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) उपमण्डलाधिकारी(ना0)–एवं–सचिव (आर0एल0ए0) ई–गर्वनैन्स सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि :–

(i) Reckongpeo E-Governance Society द्वारा अपना कार्य दिनांक 5.5.2005 से आरम्भ किया था।

(ii) E-Governance Society Reckongpeo की रोकड़ बही दिनांक 5.5.2005 से आरम्भ की गई है जिसमें दिनांक 5.5.2005 से दिनांक 28.2.2007 तक कुल एकत्रित राशि लेखांकित की गई थी तथा दिनांक 28.2.2007 के बाद एकत्रित समस्त राशि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के आधार पर E-Governance Society (Central Unit) Reckongpeo, DC Office Kinnaur को भेज दी गई थी।

(iii) E-Governance Society Reckongpeo की आय में परिवहन की गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के अतिरिक्त E-Parman (ई–प्रमाण), Gun Licence, Inner Line Permit इत्यादि गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क को सम्मिलित किया गया है और इन सभी गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त व्ययों का लेखांकन इकटठी आय से ही किया गया था।

(iv) दिनांक 31.3.2015 तक E-Governance Society Reckongpeo की आय का कोई भी भाग किसी भी प्रकार से सावधि (FDR) में निवेश नहीं किया गया है।

(v) E-Governance Society Reckongpeo की एकत्रित आय को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित), Reckongpeo के खाता संख्याः 25710114622 में जमा किया गया था।

(vi) अवधि 5.5.2005 से 31.3.2015 के दौरान E-Governance Society Reckongpeo से सम्बन्धित "Stock" एवं "Store" का कोई भौतिक सत्यापन (Physical Verification) नहीं किया गया था।

4 नियमों के अनुसार लेखों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई0–गर्वनेन्स दिनांक 3.9.2005 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सोसायटी द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार करनी अपेक्षित थी, परन्तु सोसायटी

द्वारा न तो वर्ष के अंत में Income & Expenditure Statement तैयार की और न ही Balance Sheet तैयार की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet अविलम्ब तैयार की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5 रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खाते के अन्तिम शेष में ₹889 का अन्तर पाया जाना

रोकड बही और बैंक खाते के अन्तिम शेष की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही में ₹500 का अन्तिम शेष दर्शाया गया था, जबकि सम्बन्धित बैंक खाते में अन्तिम शेष ₹1,389 था। इस प्रकार दोनों के बीच ₹889 का अन्तर था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 20/2015, दिनांक 19.5.2015 से उपमण्डलाधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गर्वनैन्स सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो को इस अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने बारे सूचित किया था, परन्तु इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउतर में कोई संतोषजनक उतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः रोकड़ बही और बैंक खाते में ₹889 के अन्तर बारे में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और वास्तविक स्थिति के अनुसार ही रोकड़ बही एवं बैंक खाते का मिलान किया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

6 परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अपभोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग की ₹92,147 को परिवहन विभाग के खाते में जमा न करवाए जाने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूना संख्याः टी0पी0टी0–एफ(1)3/2000–ई–गर्वनैन्स, दिनांक 3.9.2005 के पैरा संख्याः 3(ए) के अनुसार "25% Share of all receipts collected on account of user charges shall be deposited in Head-1055-Road Transport, 800-other receipts-misc. receipts from societies" । इस प्रकार उक्त अधिसूचना के अनुसार परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपभोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत भाग उपरोक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत परिवहन विभाग के खाते में चालान द्वारा जमा करवाया जाना अपेक्षित था। ई–गर्वनैन्स सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 5.5.2005 से 31.3.2015 के दौरान परिवहन की गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप में ₹11,92,125 प्राप्त की गई थी तथा उपरोक्त अधिसूचना के पैरा संख्याः 3(ए) के अनुसार इस राशि के 25 प्रतिशत भाग की ₹2,98,031 को वर्णित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत परिवहन विभाग के खाते में चालान द्वारा जमा करवाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण में सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि सोसायटी द्वारा अवधि 5.5.2005 से 31.3.2015 के दौरान निम्नविवरणानुसार केवल ₹205884/– ही इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करवाई गई तथा इस प्रकार इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत परिवहन विभाग के खाते में ₹92,147 कम जमा करवाई गई।

अवधि 1.9.2005 से 31.3.2015 तक परिवहन गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के रूप में आय - (वाहन एवं सारथी गतिविधियां दिनांक 1.9.2005 से आरम्भ की गई थी)	11,92,125
आय का कुल 25 प्रतिशत भाग देय	2,98,031
Less: Amount Deposited in Govt. Treasury vide Challan No. 46, Dt. 4-4-2012, 10, dt. 19-9-2012, 18, dt. 17-10-2012, 5, dt. 26-3-2015	2,05,884
Amount less deposited	92,147

उक्त अनियमितता बारे अर्थात अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 23/2015, दिनांक 18.5.2015 द्वारा उपमण्डलाधिकारी (ना0)–एवं–सचिव (आर0एल0ए0) ई–गर्वनैन्स सोसायटी(कल्पा) रिकांगपियो, को सूचित किया गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउतर में पत्र संख्याः एस0 डी0 के0–2007–2–ई–गर्वनैन्स–1372, दिनांक 19.5.2015 द्वारा उपमण्डलाधिकारी (ना0)–एवं–सचिव (आर0एल0ए0) ई–गर्वनैन्स सोसायटी (कल्पा) रिकांगपियो द्वारा सूचित किया कि जैसे ही केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो (Central Unit Reckongpeo) से राशि प्राप्त होगी, उसी समय निर्धारित राशि परिवहन विभाग के खाते में चालान से जमा करवा दी जाएगी। अतः नियमों की अनदेखी करके ₹92,147 को परिवहन विभाग के खाते में जमा नहीं करवाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त ₹92,147 को परिवहन विभाग के खाते में निर्धारित लेखा शीर्षक में शीघ्र अति शीघ्र चालान के माध्यम से जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी परिवहन सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि मे से 25 प्रतिशत भाग को नियमित रूप से परिवहन विभाग के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

7 सेवा शुल्क की ₹64,18,231 को रोकड़ बही में लेखांकित किए बिना ही सीधे केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजना तथा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई राशि का केन्द्रीय ईकाई के अभिलेख से मिलान न करनाः–

(क) E-Governance (कल्पा) रिकांगपियो द्वारा अवधि 5.5.2005 से 28.2.2007 तक एकत्रित आय को रोकड़ बही में लेखांकित करके इस आय में से व्यय करने के उपरान्त निर्धारित भाग को E-Governance (Central Unit) Reckongpeo, D.C Office Kinnaur को समय–समय पर भेजा गया था, परन्तु इस अवधि के बाद अर्थात दिनांक 1.3.2007 से 31.3.2015 के दौरान E-Governance (कल्पा) रिकांगपियो की आय को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था, जबकि उक्त अवधि में एकत्रित आय से सम्बन्धित अभिलेखों जैसा कि दैनिक सेवा शुल्क प्राप्ति सूचना, परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित सेवा शुल्क, ई–प्रमाण पत्र, Gun License, Inner Line Permit इत्यादि की जाँच करने पर पाया गया कि इस अवधि के दौरान सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹64,18,231 एकत्रित की गई थी।

आय की उक्त ₹64,18,231 को रोकड़ बही में लेखांकन न करने से सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16/2015, दिनांक 14.5.2015 द्वारा जानकारी मांगी गई थी। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में सूचित किया गया कि ₹64,18,231 को रोकड़ बही में लेखांकित किए बिना सोसाईटी के माँग एवं संग्रह रजिस्टर के आधार पर सीधे तौर से केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो (Central Unit) Reckongpeo) को विभिन्न कार्य दिवसों को भेजा गया था। इस प्रकार ₹64,18,231 को रोकड़ बही में लेखांकित किए बिना ही सीधे केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजा जाना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त ₹64,18,231 को रोकड़ बही में लेखांकित किए बिना सीधे ही केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजे जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह भी सुझाव दिया जाता है कि सेवा शुल्क की समस्त प्राप्तियों को सर्वप्रथम रोकड़ बही में लेखांकित किया जाए और उसके उपरान्त ही उसमें से भुगतान करने के अतिरिक्त निर्धारित भाग को केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त E-Governance Society (कल्पा) रिकांगपियो की सेवा शुल्क से प्राप्त आय को E-Governance Society (Central Unit) Reckongpeo, DC Office Kinnaur को भेजे जाने से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की जाँच करके केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई के अभिलेखों से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुबन्ध नवीनीकरण किए बिना ही दिनांक 18.1.2007 तक श्री विध्या सिंह, Computer Operator को वेतन के रूप में ₹26,379 का भुगतान करने बारेः—

E-Governance Society (Kalpa) Reckongpeo में कार्यरत विभिन्न अनुबन्ध कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री विध्या सिंह, Computer Operator को E-Governance Society (Kalpa) Reckongpeo में कार्य करने के लिए पत्र संख्याः KNR-E-GOV-SOC/2004-1740, Dated: 14-3-2005 द्वारा एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस पत्र के अनुसार उनके अनुबन्ध का दिनांक 13.3.2006 को नवीनीकरण होना चाहिए था, परन्तु उनके अनुबन्ध का दिनांक 18.1.2007 तक नवीनीकरण नहीं किया गया और दिनांक 18.1.2007 को श्री विध्या सिंह E-Governance Society (Kalpa) Reckongpeo से अपना कार्य छोड़ कर चले गए। इस प्रकार अनुबन्ध का नवीनीकरण किए बिना ही श्री विध्या सिंह को अवधि 13.3.2006 से 18.1.2007 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹26,379 का भुगतान किया गया। अतः अनुबन्ध नवीनीकरण किए बिना ही श्री विध्या सिंह, Computer Operator को अवधि 13.3.2006 से 18.1.2007 के दौरान ₹26379/—का भुगतान करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में भी E-Governance Society (Kalpa) Reckongpeo

में कार्यरत सभी अनुबन्ध कर्मचारियों के अनुबन्धों का समय पर नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विध्या सिंह Computer Operator को अवधि 13.3.06 से 18.1.07 तक किए गए भुगतान का विवरण

Period	Amount	Rate & Paid
13-3-2006 to 31-3-2006	1532	
1-4-2006 to 30-9-2006	15000	@2500 PM for 6 Months
1-10-2006 to 31-12-2006	8250	@ 2750 PM for 3 Months (Salary increased by DC Kinnaur in noting on Dt. 25-9-2006)
1-1-2007 to 18-1-2007	1597	
Total	**26,379**	

9 निविदाएं आमन्त्रित किए बिना ही खुले बाजार से ₹12,924 की खरीद करने पर भुगतान करना:–

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न व्ययों से सम्बन्धित अभिललेखें की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्न विवरणानुसार सामान को खरीदने से पूर्व खुले बाजार से निविदाएँ आमन्त्रित नहीं की गई थी, जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः खरीद करने पूर्व खुले बाजार से निविदायें आमन्त्रित न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य मे नियमानुसार खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित की जानी सुनिश्चित की जाए कृत कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए।

Name of Firm	Detail of Purchase	CBP No.	Voucher No. & Date	Amount
M/s Krishna Communication, Peo, Bill no. 245, dt. 17-2-2006	HP Laser Jet Printer	48	Nil, 8-3-2006	3934
M/s Krishna Communication, Peo, Bill no. 264, dt. 6-6-2006	Printer Head Epson 24 Pin	16	Nil, 8-8-2006	4500
M/s Krishna Communication, Peo, Bill no. 274, dt. 29-7-2006	Computer Stationery, Tonner etc.	19	Nil, 24-8-2006	4490
			Total	**12,924**

10 ई–गर्वनैन्स सोसायटी द्वारा विभिन्न मदो की ₹3,974 की खरीद करने के उपरान्त खरीदी गई मदों की स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्टियां किए बिना ही मदों का उपयोग किए जाने बारे

ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा खरीदी गई विभिन्न मदों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि E-Governance Society द्वारा निम्नविवरणानुसार अपने उपयोग हेतु समय–समय पर विभिन्न मदों का क्रय किया गया था। सोसाईटी द्वारा इन मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना सीधे ही इनका उपयोग किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि खरीद बिलों पर कहीं भी स्टॉक

रजिस्टर का कोई विवरण नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त इन मदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस प्रकार खरीदी गई मदों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करके सीधे ही इनका उपयोग करने से इन मदों की दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई समस्त मदों की मदवार स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में करके तथा समय–समय पर उपयोगिता के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी को जारी की मदों के सन्दर्भ में भी सम्बन्धित कर्मचारी से पावती के एवज़ में हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

Name of Firm	**Detail of Purchase**	**CBP No.**	**Date**	**Amount**
M/S Jagdish Chand, Peo, Bill No. 7466, dt. 10-5-2005	Stationery Articles	2	10-5-2005	100
The Public Office, Peo, Bill No. 45 Dt. 13-5-2005, 51, Dt. 24-5-2005	Stationery	5	26-5-2005	400
The Public Office, Peo, Bill No. 76 Dt. 18-6-2005	Stationery	14	1-8-2005	382
M/S Krishana Communication, Peo, Bill No. 0202, Dt. 23-8-2005	Computer Stationery, Cartiages etc	20	6-9-2005	2852
The Public Office, Peo, Bill No. 126 Dt. 23-8-2005	Stationery etc.	20	6-9-2005	240
			Total	**3,974**

11 E-Governance Society द्वारा खरीदे गए विभिन्न सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर तथा स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि E-Governance Society द्वारा खरीदे गए स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर तथा स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि E-Governance Society की निधि से जितनी भी स्थाई एवं अन्य सामग्री खरीदी गई है, उन सबका सम्पति रजिस्टर तथा स्टोर/स्टोक रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर प्रविष्टियाँ की जाएं तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे

अंकेक्षण अवधि के दौरान E-Governance निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की मदों का समय–समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि E-Governance निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की सभी मदों का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 **निष्कर्ष :–** निधि लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)47/2015–खण्ड–1–6009–6013,
दिनाकः 12.10.15, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)–एवं–सचिव–ई0–गर्वनेन्स सोसाइटी (आर0 एल0 ए0) (कल्पा) रिकांगपियो, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई0–गर्वनेन्स सोसायटी कल्पा, रिकांगपियो, हि0प्र0
3. निदेशक, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004
4. विशेष सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
5. श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा ....

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009